उपाबंध –I

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
....

विषय - विधि के क्षेत्र में चुने हुए विषयों पर तथा अग्र निर्णयों पर चुने हुए लेखकों द्वारा संविदा के आधार पर हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकें लिखवाने के लिए आमंत्रण ।

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा निम्नलिखित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिखवाए जाने हेतु आवेदन-

(1) विधि-शास्त्र, तुलनात्मक विधि, विधिक इतिहास, सांविधानिक इतिहास, सांविधानिक विधि, प्रशासनिक विधि, निर्वाचन विधि, विधायी प्रारूपण, कानूनों का निर्वचन और संसदीय प्रक्रिया । (2) दण्ड विधि, दण्ड प्रक्रिया, अपराध-विज्ञान, साक्ष्य, लैंगिक अपराध, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सिविल अधिकारों का संरक्षण । (3) सिविल प्रक्रिया, परिसीमा, विनिर्दिष्ट अनुतोष, विधिक उपचार, न्यायालय फीस, वाद मूल्यांकन, रजिस्ट्रीकरण, अपकृत्य विधि, स्वीय विधि और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम । (4) वाणिज्यिक विधि, औद्योगिक और श्रम विधि, बौद्धिक संपत्ति विधि, सहकारिता विधि और कराधान विधि । (5) पर्यावरण विधि, सागर विधि, अन्तरराष्ट्रीय विधि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार विधि, अन्तरराष्ट्रीय संगठन और उक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग में न आने वाली विधियां । (6) साइबर अपराध और कृत्रिम बौधिकता ।

जीवन-वृतांत सहित आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में विज्ञापन छपने की तारीख से 45 दिनों के भीतर अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए । 45 दिनों के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा । पुस्तक लिखवाए जाने के संबंध में नियमानुसार पारिश्रमिक दिया जाएगा ।

कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए वेबसाइट **www.lawmin.nic.in** पर देखें तथा निम्नलिखित पते पर संपर्क करें :

प्रधान संपादक/संपादक (पुस्तक एकक) ,
विधि साहित्य प्रकाशन (विधायी विभाग) ,
विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास रोड, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन नं. 011- 23387589, 23389001
फैक्स 011- 23387589

अविनाश शुक्ला
16.4.2025
(अविनाश शुक्ला)
प्रधान संपादक
मो. न. 9350585225
फोन.न.23387589